3. भूतपूर्व सैनिक उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, लखनऊ ।
4. भेलूपुर उपभोक्ता सहकारी भंडार, वाराणसी ।
5. आगरा मंडल विकास निगम, आगरा ।
6. कानपुर थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार, कानपुर ।
7. जिला सहकारी संघ, कानपुर ।
8. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ कानपुर ।
9. कानपुर सहकारी क्रय विक्रय समिति, कानपुर ।
10. फतेहपुर सहकारी क्रय-विक्रय समिति, फतेहपुर ।
11. केंद्रीय उपभोक्ता भंडार, मिर्जापुर
12. उत्तर प्रदेश पुलिस, कानपुर ।
13. इलाहाबाद मंडल विकास निगम, इलाहाबाद ।

उपरोक्त अभिकरणों के अतिरिक्त राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों जैसे :— उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि०, कानपुर और उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, कानपुर को अपने कुल जनता कपड़े के उत्पादन का अधिकतम 15% तक अपने खुदरा शोरूम के माध्यम से विक्रय करने की भी अनुमति दी जाती है । इन कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा धोती, रंगीन/छपी हुई साड़ियां, कमीज का कपड़ा, लंबा कपड़ा, शॉर्डी, कंबल और ऊनी शॉल उत्पादित किए जाते हैं । राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा उत्पादित कंट्रोल साड़ी, धोती, लंबा कपड़ा, तथा कमीज का कपड़ा, एन०सी सी०एफ०, उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य और आवश्यक वस्तु निगम, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के खुदरा विक्रय केंद्र और राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्राधिकृत डीलर के माध्यम से बेचा जाता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारत सरकार ने जनता कपड़े के वितरण व अन्य इसी प्रकार की बातों के विनियमन के लिए संशोधित मार्गदर्शिका जारी की है जिसमें भ्रष्टाचार को कम करने के लिए राज्य प्राधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करेंगे और वितरण के समस्त पहलुओं की देख-रेख राज्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त राज्य स्तर कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाएगी । यह समिति वितरण व्यवस्थाओं की समय-समय पर समीक्षा भी करती है ।

चयन समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

4119. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत या अधीनस्थ कार्यालयों में गठित की गई चयन समितियों/बोर्डों में नियुक्त किये गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधियों के नाम तथा पदनाम क्या-क्या है;

(ख) क्या कुछ निकाय ऐसे भी है जहां ये स्थान रिक्त है;

(ग) यदि हां, तो कब से तथा उनका कारणों सहित ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) सरकार के निदेशानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्प संख्यक वर्ग के प्रतिनिधियों को चयन समितियों में नामित किया जाना अपेक्षित है । तथापि विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन०टी० सी०) के शो रूम

4120. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कुल कितने शो रूम हैं तथा ये कहां-कहां पर स्थित हैं ; और

(ख) क्या जिला स्तर पर ऐसे शो रूम खोले गये हैं तथा शो रूमों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार है ; यदि हां, तो कब तक ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार 31-5-92 की स्थिति अनुसार देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के 408 शो रूम हैं [देखिये परिशिष्ट 164, अनुपत्र सं०, 61]

(ख) शो रूम के स्थान निर्धारण उनकी बाजार संभाव्यता पर आधारित होता है। इस समय शो रूम की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राष्ट्रीय पसटन मल विनिर्माता निगम के कार्यालय

4121. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में राष्ट्रीय पटसन म.ल विनिर्माता निगम के अन्तर्गत कार्यरत कार्यालयों के नाम क्या-क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है, वे किस स्तर के हैं तथा कहां-कहां पर स्थित हैं ;

(ख) इनके अन्तर्गत कौन-कौन से वितरक अथवा एजेंट कार्यरत हैं तथा उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) इनमें कितने वितरक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एन०जे०एम०सी०का पंजीकृत कार्यालय तथा उसके पांच एककों के कार्यालय कलकत्ता में स्थित हैं।

(ख) और (ग) एन जे एम सी के अंतर्गत कोई वितरक अथवा एजेंट काम नहीं कर रहा है। तथापि, एन० जे०एम०सी० के 5 बिक्री डिपो कमीशन के आधार पर स्वतंत्र रूप से चलाए जाते हैं । इन डिपों के प्रभारियों की जाति/जनजाति संबंधी स्थिति की जानकारी नहीं रखी जाती।

ऊनी कपड़ों का निर्यात

4123. **डा० बापू कालदाते** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका, जर्मनी आदि देशों में ऊनी कपड़ों की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए ऊनी कपड़ों के निर्यात हेतु कोई कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में ऊनी परिधानों की कुछ मांग है । सरकार ने ऊनी परिधानों सहित परिधानों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये अनेक कदम उठाये हैं जिसमें शामिल हैं : परिवर्तनशील मुद्राओं के सन्दर्भ में कोटा मदों के फ्लोर मूल्य निर्धारित करना, उदारीकृत विनियम दर प्रबंध प्रणाली की शुरुआत करना, लाइसेंस की आवश्यकता के बिना नई वस्त्र और परिधान मशीनरी मदों के आयात को सुकर बनाना, उदारीकृत निर्यात संवर्धन (पूंजीगत वस्तुएं) योजना, बिना लाइसेंस के ही परिधान, होजरी और मेड-अप्स के विनिर्माण के लिये अपेक्षित पुरानी मशीनरी के आयात को सरल बनाना, अग्रिम लाइसेंस योजना के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय क्वालिटी के कच्चे माल की उपलब्धता को सरल बनाना, उपयुक्त नीति-परक उपायों के जरिये विनिर्माता-निर्यातक और गैर-कोटा निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, क्रेता विक्रेता बैठकों का आयोजन करना तथा अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेना, आदि ।